मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी , RAS

प्रकरण सं. 113/2019 वाद
GCMS NO.- 2019/00318

1. शांतिलाल पिता नंदराम जाति सुथार उम्र 62 वर्ष निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा ।
2. शम्भुलाल पिता पोखर जाति गायरी उम्र 70 वर्ष निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा।
3. धर्मराज पिता किशनलाल जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा।
4. देवीलाल पिता किशनलाल जाति माली उम्र 23 वर्ष निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा।
5. श्रीमति तुलसी बाई पत्नि किशनलाल जाति माली उम्र 60 वर्ष निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा।

–वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

//बनाम//

1. भेरूलाल पिता घीसा जाति माली उम्र 65 वर्ष निवासी अरनियामाली तहसील निम्बाहेड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब निम्बाहेड़ा राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की और से अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता रामचन्द्र धाकड़ की की उपस्थिति में दिनांक 29.08.2019 को जारी प्राथमिक डिक्री में विवादित भूमि मौजा अरनियामाली की आराजी नं. 338 रकबा 0.1800 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का 2/14, वादी संख्या 2 का 2/14 तथा वादी संख्या 3 से 5 का संयुक्त रूप से 4/14 हिस्सा घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा यथावत प्रतिवादी संख्या 1 भैरूलाल पिता घीसा माली निवासी अरिनयामाली के रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये गये थे कि उपर्युक्तानुसार विवादित भूमि का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जावे तथा वादीगण का हिस्सा अलग खातेदारी में अंकित किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/एल.आर./156 दिनांक 07.09.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है । विवादित भूमि मौजा अरनियामाली की खाता संख्या 92 की आराजी नं. 338 रकबा 0.18 है0 का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:-

1— श्री भेरूलाल पिता घीसा माली सा. देह खातेदार (प्रतिवादी) के रहेगी—

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
338 उत्तर	0.06 बंजड़ I	0.21

2— श्री धर्मराज देवीलाल पिता किशनलाल मु0 तुलसीबाई पत्नि किशनलाल माली सा. देह खातेदार (वादी) के रहेगी—

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
338 उत्तर—मध्य	0.05 बंजड़ I	0.18

3.— श्री शम्भुलाल पिता पोखर गायरी सा. देह खातेदार (वादी) के रहेगी—

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
338 मध्य	0.03 बंजड़ I	0.10

4.— श्री शान्तिलाल पिता नन्दराम सुथार सा. देह खातेदार (वादी) के रहेगी—

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
338 दक्षिण—मध्य	0.02 बंजड़ I	0.07

5.— श्री नाहरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत सा. देह खातेदार (प्रतिवादी से क्रय किया) के रहेगी—

आराजी नं.	रकबा हैक्टेयर	लगान रूपये में
338 दक्षिण	0.02 बंजड़ I	0.07

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह आज तारीख 20.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:28:43 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner